

## बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-2, पटना-800001

## कार्यालय आदेश

निगम के ज्ञापांक 3938 दिनांक 17.05.2020 द्वारा 160वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वित विभाग के सं0—ज्ञापांक—3ए0—2—वे0पु0 09 / 2016—3590 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार सातवां पुनरीक्षित

वेतन लाग् है।

क्ति विभाग के सं0—ज्ञापांक—3ए0—2—वे0पु0 09 / 2016—3590 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम के कर्मियों को भी दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण एवं दिनांक 01.04.2017 से आर्थिक लाभ दिये जाने के विन्दु पर निदेशक पर्षद की 166.8 वी0 बैठक दिनांक-08.02.2021 में निम्न निर्णय लिया गया है:-

"The Board was apprised that the benefits of the pay revision in accordance with the Seventh State Pay Commission have been extended to the employees of the Corporation in compliance with the decision taken by the Board in its 160th Meeting. However, the minutes of the said 160th meeting appear to have inadvertently omitted the dates from which the benefits would be calculated and paid. Consequently, there is some ambiguity regarding dates from which the revised benefits would be calculated and paid.

Upon discussion, the Board approved the proposal that the revision in pay scale would be effective from 01.04.2016 and the payments would be due from 01.04.2017 in terms of Finance

Department Letter Number 3590 dated 24.05.2017 as decided in the 160th Meeting."

उक्त निर्णय के आलोक में कित विभाग के सं0-ज्ञापांक-3ए0-2-वे0पु0 09/2016-3590 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम के कर्मियों को भी दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण एवं दिनांक 01.04.2017 से आर्थिक लाभ की स्वीकृति दी जाती है।

प्रबंध निदेशंक।

ज्ञापांक:-03:02:26:01:2019 ि । त्रि । हिनांक- । विनांक- । प्रि । प्र । प्रि । प्र । प्रि । प मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ के प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित 🗹